राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3077/2024

डॉ. महेन्द्र सिंह हाड़ा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्नक चिकित्सालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सह आचार्य (ईएनटी) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। पूर्व में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जयपुर से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर किया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष रिट याचिका संख्या 2198/2024 में चुनौती दी थी। उक्त अपील में अधिकरण ने आदेश दिनांक 05.07.2024 पारित कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये थे। यह भी स्पष्ट किया था कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश स्थगित रखा जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.08.2024

(अनुलग्नक–2) से किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को जिन आधारों पर निर्णित किया गया है, वो तथ्य गलत अंकित किये गये है। ऐसे में अपीलार्थी का अभ्यावेदन ठीक प्रकार से निर्णित नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग ने मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में सह आचार्य (ई.एन.टी.) का रिक्त पद होना बताया है। प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा ही उक्त पद पर सिद्धार्थ निर्वाण का पदस्थापन किया जा चुका है और मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सह आचार्य का पद भरा जा चुका है। अतः अब मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सह आचार्य का कोई पद रिक्त नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यावेदन के निस्तारण में यह माना है कि अपीलार्थी की पत्नी जो सहायक आचार्य (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पद पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पदस्थापित हैं, वह भी गलत तथ्य अंकित है, क्योंकि अपीलार्थी की पत्नी का स्थानान्तरण जयपुर से अजमेर किया जा चुका है।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। प्रतयर्थी विभाग ने अभ्योवदन के निस्तारण में जो तथ्य अंकित किये हैं, वे सही नहीं है।

5. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 13.08.2024 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है

कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)